



कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर)
झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीणा
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

No.F. /COAJ/Store/2025/ 2592

Dated: 25-08-2025

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, झिलाई, निवाई (टोंक) के वित्तीय वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 से जून 2026) में निम्न कार्यों की आवश्यकतानुसार श्रमिक आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/सेवाप्रदाताओं संस्थाओं जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हो, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक - 09-09-2025 को प्रातः 11.30 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ द्वि बिड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रुपये 500/- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई, के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 09-09-2025 प्रातः 10.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 1.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कृषि महाविद्यालय, झिलाई की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रु)	2 प्रतिशत घरोहर राशि
1.	कृषि महाविद्यालय, झिलाई में ऑफिस कार्य, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षाकर्मी, साफ-सफाई, कृषि कार्य, उद्यानिकी कार्य एवं अन्य कार्य हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु।	9,95,000.00	19900.00

11
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान अधिष्ठाता व संकाय अध्यक्ष, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि नियत तिथि पर आप अपने मनोनीत सदस्य को कृषि महाविद्यालय, झिलाई में भिजवाने का श्रम करवाये।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. टेण्डर कमेटी सदस्य/स्थापना शाखा/लेखाशाखा, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक)।
6. श्रीमान प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
7. मैसर्स.....।
8. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय-झिलाई/उपखण्ड कार्यालय-निवाई/तहसील कार्यालय-निवाई/ग्राम पंचायत झिलाई के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. स्थापना शाखा/रक्षित फाइल।


अधिष्ठाता
DEAN

College of Agriculture
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Jhilai-304025 (Niwai), Tonk

कृषि महाविद्यालय, झिलाई (लिफाफा नं. 1 में रखना है)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

श्रमिक आपूर्ति निविदा प्रपत्र-1

1.के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता.....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है: अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक)
4. सन्दर्भ :
5. बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा पत्र (Declaration) निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है।
6. हम निविदा सूचना संख्या.....दिनांक..... की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर हैं, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
7. डाफ्ट नं./ चैक नं./ नगद रसीद नं.....दिनांक.....रूपये..... धरोहर राशि हेतु संलग्न है।
8. GST सर्टिफिकेट और श्रमिक विभाग में पंजीकरण प्रति संलग्न करे।
9. PAN Card/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें।
10. 3 वर्षीय वित्तीय विवरणिका।

हस्ताक्षर निविदादाता


अधिष्ठाता

DEAN

College of Agriculture
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Jhilai-304025 (Niwai), Tonk

कृषि महाविद्यालय, झिलाई (लिफाफा नं. 1 में रखना है)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

श्रमिक आपूर्ति

तकनीकी निविदा प्रपत्र-2

निविदाताफर्म का नाम व पता मय दूरभाष :-

1. जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करें)
2. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
3. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
4. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
5. सफल निविदादाता को रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिशत (रु.) (धरोहर राशि रु. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबंध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रूप में देना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
7. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
8. श्रमिकों को कृषि महाविद्यालय में ऑफिस कार्य, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षाकर्मी, साफ-सफाई, कृषि कार्य, उद्यानिकी कार्य एवं अन्य कार्य आदि हेतु लगाया जा सकता है।
9. बिल भुगतान हेतु श्रमिकों का भुगतान करके मय आवश्यक दस्तावेजों जैसे. राशि स्थानान्तरण का विवरण व अन्य सहित बिल माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, साथ श्रमिकों के भुगतान समयानुसार नहीं करने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपकी फर्म पर पेनल्टी लगाये जाने का अधिकार रहेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आबीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. Registration of Labour Department (Photo Copy)
12. Registration of GST, ESI & EPF (Photo Copy)
13. PAN No. ----- (Photo Copy)
14. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।

नोट: निविदा के साथ दिए हुए सारे प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

हस्ताक्षर निविदादाता


अधिष्ठाता

College of Agriculture
Karan Narendra Agriculture University, Job
Jhila-304025 (Niwai), Ton

कृषि महाविद्यालय, झिलाई

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
निविदा प्रपत्र

(लिफाफा नं. 1 में रखे)

कृषि महाविद्यालय पर विभिन्न कार्यों के लिए कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण
1	योजना का नाम - कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के परिसर पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक।
2	निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता
3	नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है: अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
4	निविदा संदर्भ:-
5	बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है
6	हम निविदा सूचना संख्या दिनांक की शर्तों से सहमत हैं एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर हैं, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
7	निविदा प्राप्त करने का समय:- कार्यालय कार्य दिवस में
8	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय:- दिनांक 09-09-2025 को प्रात 10.30 बजे
9	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि:- दिनांक 09-09-2025 को प्रात 11.00 बजे
10	निविदा खोलने की तिथि:- 09-09-2025 को 1.30 p.m. बजे
11	निविदा खोलने का स्थान:- कृषि महाविद्यालय, झिलाई
12	पत्र व्यवहार हेतु पता:- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई-टोंक (राजस्थान) 304025
13	फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूची में नहीं है(प्रपत्र-स)। एवं Fall clause प्रमाण पत्र(प्रपत्र-द)
14	वित्तीय विवरण (प्रपत्र-य)
15	दरें प्रपत्र-2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा।
(संलग्न लिफाफा नं.1 में रखे)

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


अधिष्ठाता

DEAN

College of Agriculture
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Jhilai-304025 (Niwai), Tonk

निविदा हेतु शर्तें

परिशिष्ट संख्या -1

प्रपत्र - "ब"

(तकनीकी बिड)

लिफाफा नं. 01

श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तें :-

1. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रु 19900/- तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने से निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/- का नकद/DD/BC अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखें। निविदा प्रपत्र राशि एवं प्रतिभूति राशि का डीडी/बैंकर चैक/नगद रसीद अलग-अलग रहेगी।
2. लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदादाता द्वारा दिये गये मजदूरी दर प्रतिदिन रहेगी तथा यह सभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
3. दोनों लिफाफों नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्यदेश/कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई को होगा।
7. निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी।
8. कयादेश/कार्यादेश के अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी।
9. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से श्रमिकों की आपूर्ति करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
10. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 09-09-2025 को प्रातः 10.30 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) से प्राप्त किए जाकर दिनांक 09-09-2025 को प्रातः 11.30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे एवं जो निविदा समिति द्वारा दिनांक 09-09-2025 को 1.30 pm बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएंगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
12. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई स्पष्ट लिखकर कार्यलय में प्रस्तुत करें।
13. प्रस्तावित निविदा अंकों में स्पष्ट लिखकर देना होगा। किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त दरे 30.06.2026 तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से 3 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
14. सफल निविदादाता को रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिशत (रु.) (धरोहर राशि रु. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबंध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रूप में देना होगा।
15. फार्म पर ऑफिस/कृषि कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने, साप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता ठेकेदार/ फर्म की होगी।


DEAN
College of Agriculture
(Sri Karan Narendra Agriculture University)
Jhila-304025 (Nawalgarh)

16. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित हैं। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
17. निविदादाता/फर्म पिछले 3 साल का टर्न ओवर ('प्रपत्र अ') प्रमाण-पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
18. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में रुपये 500/- जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
20. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
22. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।
23. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तों निविदा का भाग मानी जाएगी।
24. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
25. कृषि महाविद्यालय, झिलाई द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
26. न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.8(5)(6) न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2020/पार्ट/00212 जयपुर, दिनांक 13.12.2024 के अनुसार लागू होगी।
27. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी।
28. यदि इस संस्था को अंशकालिक (पार्ट-टाइम) मानव संसाधनों की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड़ सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए की जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी का गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये निविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
30. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्थों को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गयी राशि के विवरण के बावजूद इस संस्था कि संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
31. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा एवं भुगतान करने की प्रमाणित प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित बिल 7 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। बिल प्रस्तुत करने एवं देरी से भुगतान करने की स्थिति पर कॉलेज कमेटी द्वारा निर्धारित पेनल्टी के हिसाब से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई में शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
32. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
33. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों एवं शासन उपसचिव कृषि विभाग (गुप-3) के पत्र क्रमांक पं. 3(3)कृषि-3/2021 जयपुर दिनांक 20.12.2021 के निर्देशानुसार श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि का अलग से विभागानुसार ECR(Electronic Challan Cum Return) से जमा करवाकर प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी माह का भुगतान किया जावेगा।

34. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा मजदूरी नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
35. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
36. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान के प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
37. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
38. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
39. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
40. फर्म/प्लेसमेंट ऐजेंसी की RTPPA 2012, RTPPR 2013, एवं GR & AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/भास्ति/पेनल्टी वसूली जावेगी।
41. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
42. चौकीदार/लेवर आदि अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करायेगा। अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही उस माह का मानदेय देय होगा।
43. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
44. किसी भी शर्त की पूर्ववत् पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
45. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5(6)/न्यू.म. /श्रम/2000/पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी एवं नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
46. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
47. निविदादाता/फर्म को बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा-पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) श्रीमान् अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई के नाम निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।
48. कार्यों का भुगतान संतोषजनक होने पर ही हर एक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते व अनुपस्थिति की अवस्था में दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
49. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
50. उपरोक्त शर्तों की सहमति दो गवाहों से सत्यापित करवाकर रु0 50.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखकर कार्यालय में देना होगा।
51. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम का ठेका है वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यों को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वयं के मासिक भुगतान में से करेगी।
52. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र में दी गई दरें 30 जून, 2026 तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।

53. महाविद्यालय में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा। यदि निविदाकर्ता समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाता है तो कार्य को देखते हुए महाविद्यालय अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त राशि का श्रमिकों को किया गया भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
54. किसी भी ब्लैक लिस्टेड फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।
55. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म/प्लेसमेंट एजेन्सी को बैंक/NEFT द्वारा किया जावेगा।
56. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
57. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाए जाएंगे व नियोजित करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिकों को हटाया जा सकता है।
58. मैं उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्ध रहूंगा।
59. अर्द्धकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले को पढ़ना व लिखना आना जरूरी है।
60. राजस्थान सरकार द्वारा दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जानें पर संशोधित दरें लागू होगी।
61. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गई दरों में यदि समानता होती है तों अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
62. अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग फर्मों के न्यूनतम दरें प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नहीं किया जायेगा।
63. उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट एजेन्सी हस्ताक्षर एवं मौहूर कर दी है।
64. यदि कोई फर्म न्यूनतम दर पर प्रचलित मुद्रा में कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शाती है तो ऐसी फर्म को Nonresponsive माना जायेगा।
65. इस टैंडर के लिए फर्म का औसत एक साल का टर्न ओवर रु. 20 लाख होना जरूरी है।


DEAN
College of Agriculture
 Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner
 Jhilmil-304025 (Niwai), Tonk

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मौहूर

नोट- निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी-

1. लिफाफा नं० 1 में फर्म/प्लेसमेंट एजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा-पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) तथा DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है। इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं० 2 नहीं खोला जावेगा।
2. लिफाफा नं० 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

हस्ताक्षर निविदादाता

कृषि महाविद्यालय, झिलाई (लिफाफा नं. 2 में रखे)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

वित्तीय निविदा प्रपत्र-2

विभिन्न श्रमिकों की आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी ।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत (13.00 %)	ESI दर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (5+8=9)
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन का प्रकार	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन				सर्विसचार्ज	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक	285 / -					
2	अर्द्धकुशल श्रमिक	अर्द्धकुशल श्रमिक	297 / -					
3	कुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	309 / -					
4	उच्च कुशल श्रमिक	उच्च कुशल श्रमिक	359 / -					

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


अधिष्ठाता
College of Agriculture
Sri Karan Narendra Agriculture University
Jhila-304025 (Niwai), Tonk

प्रपत्र "अ"

फर्म/निविदाता का तीन वर्षीय वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष

ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रू.)

2022-23

2023-24

2024-25

योग

ओसत टर्न ओवर प्रति वर्ष

सी.ए. द्वारा प्रमाणित

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक


DEAN
College of Agriculture
(Shri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Jhalai-304025 (Niwai), Tonk

निविदादाता द्वारा घोषणा

(50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमने जिन कार्यालय की जहाँ कही भी श्रमिकों की आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति sub-Standard होने के कारण हमें किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।


DEAN
College of Agriculture
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Jhilai-304025 (Niwai), Tonk

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र-‘स’

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमने जिन श्रमिकों की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के कम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, नियम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को श्रमिकों की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।


DEAN
College of Agriculture
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Jhalai-304025 (Niwai), Tonk

निविदादाता के हस्ताक्षर

FORM NO.1
(See Rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Procurement]

Act 2012

Appeal No. of
Before the (First /Second Appellate
Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s)
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal
6. Ground of appeal:.....
.....
.....
..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:.....
.....

Appellant's signature:

Place:
Date


DEAN
College of Agriculture
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jhilmil, Tonk)
Jhilmil-304025, Tonk